FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

धर्मपाल वगैरह बनाम सरकार

किस्म मुकदमा :—प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 167/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षित सार इसप्रकार से है कि प्रार्थीगण के नाम से चक 3 केएलडी मु0नं0 236/33 के किला नं0 1 ता 15 में 3.6670 है0 अनकमाण्ड भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं चक 3 केएलडी मु0नं0 236/33 के किला नं0 10, 11 प्रत्येक में 0.0253 है0 अनकमाण्ड भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थीगण ने उक्त रास्ता कटान बाबत् सहमति व अनाप्ति शपथपत्र प्रस्तुत किया जो पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रार्थीगण ने आईडी प्रूफ व वर्तमान जमाबंदी प्रस्तुत की है जिसके अनुसर वांछित रास्ता की भूमि प्रार्थीगण इमीलाल, धर्मपाल, सुग्रीव के नाम बराबर हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि रास्ता में वांछित भूमि प्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है इसलिए रास्ता के बदले प्रतिफल राशि किसी अन्य को देय नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। उक्त रास्ता की भूमि प्रार्थीगण के स्वंय के नाम ही दर्ज है इसलिए प्रतिफल किसी को देय नहीं है, ऐसा प्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं चक 3 केएलडी मु0नं0 236/33 के किला नं0 10, 11 प्रत्येक में 0.0253 है0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेश किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रास्ता के रकबे को गैरमुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।	